



**भारत सरकार/ GOVT OF INDIA**  
**सीमाशुल्क आयुक्त एन एस -IV का कार्यालय**  
**OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS NS- IV**  
**सीमाशुल्क मुंबई अंचल II, जवाहरलाल नेहरू सीमाशुल्क भवन**  
**MUMBAI CUSTOMS, ZONE II, JAWAHARLAL NEHRU CUSTOM HOUSE,**  
**न्हावा शेवा, उरण, जिला रायगड, महाराष्ट्र/Nhava Sheva, Uran, Raigad, Maharashtra – 400707**

**सीमाशुल्क मुंबई, अंचल- II, एनएस -IV (अनुपालन प्रबंधन) आयुक्तालय की**  
**-: जनवरी-मार्च 2026 तिमाही की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त :-**

सीमाशुल्क आयुक्तालय एनएस -IV (अनुपालन प्रबंधन), न्हावा शेवा की चौथी तिमाही की राजभाषा कार्यान्वयन समिति (OLIC) की बैठक दिनांक 25.02.2026 को सुबह 11:20 बजे आयोजित की गई। एनएस -IV (अनुपालन प्रबंधन) कार्यालय के निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित थे।

क्रम संख्या	अधिकारियों के नाम (सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री)	पदनाम / Designation
1.	डॉ. कुन्दन यादव	आयुक्त, सीमाशुल्क (एनएस-IV)
2.	राघवेंद्र सिंह	आयुक्त, सीमाशुल्क (इन-सीटू)
3.	शोकेन्द्र कुमार	अपर आयुक्त, सीमाशुल्क
4.	टिकेन्द्र कुमार कृपाल	संयुक्त आयुक्त, सीमाशुल्क
5.	हेमंत अ. देशमुख	उप आयुक्त, सीमाशुल्क
6.	शोभा राजरत्न आदसुल	सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क
7.	महेश कुमार परमार	सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क
8.	संजय कुमार	अधीक्षक
9.	संदीप कुमार	अधीक्षक
10.	सुनिल एन. अंबुलकर	अधीक्षक
11.	अमित कुमार	अधीक्षक
12.	मनोज कुमार मीना	अधीक्षक
13.	राजीव रंजन सिन्हा	अधीक्षक
14.	देवेश कुमार पाण्डेय	अधीक्षक
15.	मुकेश कुमार	अधीक्षक
16.	शिव नारायण मीणा	अधीक्षक
17.	नंदकिशोर छोरे	अधीक्षक
18.	हितेश	मूल्यांकक
19.	नितिन	मूल्यांकक
20.	आदित्य शर्मा	मूल्यांकक
21.	दीपेश गुप्ता	मूल्यांकक
22.	प्रियंका कुमारी	मूल्यांकक
23.	गणेश नारायण कुम्हार	मूल्यांकक
24.	नीलू कारवाणी	मूल्यांकक
25.	प्रतीक कुमार झा	निरीक्षक
26.	गिरीश जाँगिड़	निरीक्षक
27.	धिरंजन कुमार	निरीक्षक
28.	वुल्गीगडला नागार्जुना	निरीक्षक
29.	लोकेश कुमार जिंदल	निरीक्षक
30.	अनुज सिंह	निरीक्षक
31.	यश सिंह	निरीक्षक
32.	कैलाश चंद्र गोदारा	निरीक्षक
33.	योगेश कुमार	निरीक्षक
34.	विनोद बैनीवाल	निरीक्षक
35.	पारस गाँधी	निरीक्षक
36.	धर्मराम	निरीक्षक
37.	गिरधारी लाल मीना	परीक्षक
38.	रुचि मिश्रा	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी
39.	टीना छाबड़ा	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी एवं सदस्य सचिव

सदस्य सचिव द्वारा उपस्थित अध्यक्ष महोदय एवं समिति के सदस्यों का स्वागत किया गया एवं अनुमति के साथ बैठक की कार्यवाही आरंभ की गई ।

**पिछली बैठक (16.12.2025) में लिए गए निर्णयों की अनुपालन स्थिति :-**

1. **फ़ाइलों के संचालन हेतु राजभाषा चैनल का निर्माण:-** नए चैनल के अनुसार ई-फ़ाइलें सहायक आयुक्त (राजभाषा), एनएस-जनरल से होते हुए अपर आयुक्त (राजभाषा अधिकारी) एनएस-IV के उपरांत आयुक्त महोदय, एनएस-IV को प्रेषित की जाती है। (कार्यवाही पूर्ण)
2. **राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन एवं राजभाषा अधिकारी का नामांकन:-** अध्यक्ष महोदय की अनुमति से एनएस-IV आयुक्तालय की नवीन राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया एवं अपर आयुक्त, एनएस-IV को राजभाषा अधिकारी नामित किया गया। (कार्यवाही पूर्ण)
3. **हिन्दी पुस्तकों की खरीद:-**हिन्दी अनुभाग द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए राजभाषा के प्रचार प्रसार हेतु राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित हिन्दी भाषा की श्रेष्ठ पुस्तकों की खरीद की गई और इसकी सूचना के संबंध में एक परिपत्र सभी अनुभागों को प्रेषित किया गया। (कार्यवाही पूर्ण)
4. **हिन्दी कार्यशाला का आयोजन:-** अधिकारियों को राजभाषा हिन्दी से संबंधित प्रावधानों से परिचित करवाने एवं प्रशिक्षित करने हेतु अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में हिन्दी अनुभाग द्वारा एक संयुक्त हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें एनएस-IV आयुक्तालय से 02 अधिकारियों ने भाग लिया। (कार्यवाही पूर्ण)
5. **राजभाषा संपर्क अधिकारी का नामांकन:-** एनएस-V आयुक्तालय के सभी अनुभागों के एडमिन अधिकारियों को राजभाषा संपर्क अधिकारी नामित किया गया। इस संबंध में एक परिपत्र भी जारी किया गया। (कार्यवाही पूर्ण)
6. **आवेदन फॉर्म के द्विभाषी प्रारूप:-** अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार सभी आवेदन पत्रों के द्विभाषी प्रारूप तैयार कर अनुभागों की ई-मेल पर साझा किया गया। (कार्यवाही पूर्ण)

**दिनांक 2.02.2026 को संपन्न बैठक में लिए गए निर्णय :-**

1. **हिन्दी तिमाही प्रगति रिपोर्ट का तुलनात्मक अध्ययन:-** बैठक में विगत दो तिमाहियों की हिन्दी प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा की गई एवं हिन्दी का कार्य प्रतिशत बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों का सुझाव दिया गया। बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि धारा 3(3) के सभी दस्तावेज एवं सभी पत्र अनिवार्य रूप से हिन्दी या द्विभाषी रूप में जारी किए जाए। हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही देना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त नेमी प्रवृत्ति के कार्यों को हिन्दी/द्विभाषी रूप में किया जाए जिससे पत्राचार के प्रतिशत में सुधार किया जा सके। कार्यालय में हिन्दी टिप्पणी की प्रतिशतता में कमी पाई गई, इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि सभी टिप्पणी अनिवार्य रूप से हिन्दी/द्विभाषी हो। (कार्यवाही - सभी अनुभाग, एनएस-IV)
2. **राजभाषा आंतरिक निरीक्षण एवं राजभाषा रोस्टर का निर्माण:-** समिति को इस तिमाही के दौरान राजभाषा आंतरिक निरीक्षण संबंधी सूचना दी गई। इस दौरान नेमी प्रवृत्ति के कार्यों के

द्विभाषी प्रारूप तैयार कर अनुभागों में दिए गए। संबंधित अनुभागों में हिन्दी टिप्पण, हिन्दी पत्राचार आदि संबंधी जानकारी प्रदान की गई एवं कंप्यूटर हिन्दी टाइपिंग आदि संबंधी डेस्क प्रशिक्षण दिया गया। सभी कंप्यूटर में यूनिकोड आधारित हिन्दी टंकण की सुविधा प्रदान की गई जिसके प्रयोग से हिन्दी टिप्पणी का प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सभी अनुभाग से रबड़ स्टाम्प के सैम्पल लिए गए। समिति को सूचित किया गया कि राजभाषा रोस्टर का भी निर्माण किया जाना है जिससे अधिकारियों के हिन्दी का ज्ञान (कार्यसाधक एवं प्रवीण) की जानकारी प्राप्त की जा सके।

(कार्रवाई : हिन्दी अनुभाग)

3. तकनीकी एवं गैर-तकनीकी कार्यों का वर्गीकरण जिससे राजभाषा अनुपालन व्यवस्थित एवं सुचारु रूप से किया जा सके:- इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि तकनीकी कार्यों में जहाँ तक संभव हो हिन्दी का प्रयोग सुनिश्चित किया जाए।

(कार्रवाई : सभी अनुभाग, एनएस-IV)

4. सीबीआईसी के अधीनस्थ सभी आयुक्तालयों को उनके निकटतम नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) कार्यालयों में सदस्यता ग्रहण करने से संबंधित:- समिति को सूचित किया गया कि केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों को गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) का सदस्य होना अनिवार्य है। इस संदर्भ में कार्यान्वयन समिति को वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग एवं डीजीपीएम, नई दिल्ली से प्राप्त नराकास सदस्यता ग्रहण करने हेतु संबंधित पत्र के बारे में सूचित किया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा सदस्यता लेने हेतु अनुमति प्रदान की गई एवं इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

(कार्रवाई : हिन्दी अनुभाग)

5. जनवरी-मार्च तिमाही में हिन्दी कार्यशाला का आयोजन:- बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा जनवरी-मार्च तिमाही में आयोजित होने वाली कार्यशाला से संबंधित आदेश दिए गए कि कार्यशाला हेतु नामांकन संबंधित अनुभाग के सहायक आयुक्त द्वारा दिया जाएगा जिससे कि कार्यशाला में अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। यह भी निर्देश दिए गए कि कार्यशाला के दौरान अधिकारियों को वॉइस टू टेक्स्ट (वॉइस टाइपिंग) का भी प्रशिक्षण दिया जाए।

(कार्रवाई : हिन्दी अनुभाग)

6. अन्य मुद्दे/सुझाव:- (i) अध्यक्ष महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि हिन्दी पुस्तकों की खरीद के दौरान विभागीय लेखकों की पुस्तकों की खरीद की जाए जिससे अधिकारियों को प्रोत्साहन मिले।

(ii) अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी अधिकारियों को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हिन्दी स्वयं प्रशिक्षण-लीला-प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ का उपयोग करने का सुझाव दिया गया।

बैठक में अन्य कोई विषय शेष न होने के कारण अध्यक्ष महोदय तथा सदस्यों के प्रति धन्यवाद प्रकट करते हुए बैठक दोपहर 12:47 बजे सम्पन्न हुई।

राघवेंद्र सिंह

आयुक्त, सीमाशुल्क (इन-सीटू)